

# विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

अगस्त-2012

## शिक्षा विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या       | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|---------------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 02/लोक(शिक्षा)10/12 | मार्च 1968 से नवम्बर 1976 तक का भविष्य निधि बकाया के लिए श्री मिथलेश कुमार सिंह सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक की शिकायत ।               | 31.08.2012        | जिला शिक्षा अधीक्षक राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 2.       | 02/लोक(शिक्षा)51/11 | नव प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी भुईयां टोली हजारीबाग में पारा शिक्षक के पद पर पुनःस्थापन के लिए सुषमा सिन्हा का आवेदन ।                 | 08.08.2012        | जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादीनी से सिनियर कविता कुमारी को पारा शिक्षक के पद पर की बहाली को उचित बताया गया अतः परिवादीनी के आरोप को खारिज करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 3.       | 02/लोक(शिक्षा)04/11 | श्रीमती अहिल्या देवी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पाकुड़ के विरुद्ध आरोप के संबंध में श्री रमेश कुमार चौरसिया, पाकुड़ का शिकायत । | 31.08.2012        | जिला शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़ के प्रतिवेदन के अनुसार माननीय लोकायुक्त के द्वारा दिनांक 16.12.2011 को पारित आदेश के अनुपालन में आरोपित लोक सेवक के विरुद्ध पाकुड़ थाना में केस सं० 124/2012 दिनांक 04.05.2012 को भारतीय दण्ड संहिता के धारा 420,409,467,471 एवं 34 के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज करा दिया गया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

## पुलिस विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या      | विषय  | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|--------------------|---|-------------------|--|
| 1.       | 01/लोक(पुलिस)13/11 | जमुआ थाना प्रभारी श्री मन्दु कुमार द्वारा श्रीमती बसंती देवी को घर के अनदर घूस कर मार-पीट कर जख्मी कर दुर्व्यवहार करने के संबंध में ।   | 25.07.2012        | डी.आई.जी उत्तरी छोटानागपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया ।   |
| 2.       | 01/लोक(पुलिस)01/12 | भूमि संबंधित विवाद में परिवादी श्री रामेश्वर प्रसाद मेहता के प्रतिवेदन पर ईचाक थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा जांच की कार्रवाई के दौरान भेद-भाव पूर्ण रवैया अपनाने तथा प्रताड़ित करने के संबंध में । | 24.08.2012        | पुलिस अधीक्षक हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार पुलिस ने अंतिम जांच रिपोर्ट नयायालय में जमा कर दिया है साथ ही परिवाद अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय हजारीबाग में लम्बित है अतः ऐसी दशा में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया । |
| 3.       | 02/लोक(पुलिस)15/11 | थाना प्रभारी पाकुड़िया, शशिभूषण चौधरी द्वारा हाजत में बन्द कर प्रताड़ित करने एवं शोषण करने के संबंध में सोहेल मुर्मू का शिकायत ।  | 28.08.2012        | परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये तथा पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 4.       | 02/लोक(पुलिस)07/12 | दिनांक 18.01.2010 को दर्ज शिकायत पर थाना प्रभारी अनु० जाति एवं अनु० जनजाति महिला थाना धनबाद के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के संबंध में ।   | 31.08.2012        | पुलिस अधीक्षक धनबाद से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के शिकायत पर कुमारधुबी थाना में केस सं० 143/12 दिनांक 20.05.2012 दर्ज कर पुलिस द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है । अतः परिवाद में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । परिवाद को बन्द कर दिया गया ।                       |
| 5.       | 01/लोक(पुलिस)16/11 | देवघर जिला अन्तर्गत मोहनपुर थाना काण्ड सं० 150/11 दिनांक 28.07.11 के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की आदेश दिये जाने के संबंध में श्रीमती प्यारी देवी का परिवाद ।                                   | 22.08.2012        | पुलिस द्वारा जांचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है यदि परिवादी संतुष्ट नहीं है तो अन्य विधि समत कार्रवाई का सहारा ले सकती है ।   |

## ग्रामीण विकास विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या            | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|--------------------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 02/लोक(ग्रा.वि.वि.)15/11 | वित्तीय वर्ष 2009-10 में इंदिरा आवास नव निर्माण में अनियमितता के संबंध में ।   | 07.08.2012        | उपायुक्त गोड्डा के जांच प्रतिवेदन तथा साक्ष्य के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 2.       | 01/लोक(ग्रा.वि.वि.)13/11 | श्रीमती ज्याति झा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जमुआ द्वारा अनियमितता किये जाने के संबंध में श्री योगेन्द्र सिंह का शिकायत । | 24.08.2012        | परिवादी पूर्व में भी इसी विषय पर संचिका सं. 01/लोक/सहकारिता/01/12 दाखिल किया था जो नियमतः उचित नहीं है इसके लावा माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका दाखिल किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । |

## कृषि विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या     | विषय  | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|-------------------|---|-------------------|--|
| 1.       | 02/लोक(कृषि)05/08 | संयुक्त कृषि निदेशक सह नियंत्रक माप एवं तौल झारखण्ड राँची के कार्यालय कर्मियों का वेतन भुगतान में रोक लगाने के कारण वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में दर्ज परिवादा । | 24.08.2012        | कृषि विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है, तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य जिसमें जांच प्रतिवेदन पर अपनी पुरी सहमति जताये जाने के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 2.       | 02/लोक(कृषि)04/12 | श्री सुरेश पाण्डेय को सेवा निवृत्ति के पश्चात देय पावना का भुगतान नहीं होने तथा पेंशनका निर्धारण नही होने के संबंध में परिवाद ।                                       | 23.08.2012        | निदेशक भूमि संरक्षण झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य जिसमें देय पावनाओं का भुगतान प्राप्त करने का उल्लेख है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।                              |
| 3.       | 02/लोक(कृषि)04/09 | श्री नन्द किशोर सिंह, सेवानिवृत्त कृषि पदाधिकारी, खूँटी को वेतन पूर्जा निर्गत उपरान्त भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।                           | 08.08.2012        | संबंधित विभाग के प्रतिवेदन जिसमें परिवादी के परिवाद का निराकरण करने का वर्णन है तथा परिवादी द्वारा जांच प्रर अपनी सहमति जताये जाने के आलोक में परिवाद पर अग्रतर  |

|    |                    |   |            |  |
|----|--------------------|---|------------|--|
|    |                    |   |            | कार्रवाई बन्द कर दिया ।  |
| 4. | 02/लोक(कृषि)08/11  | ए.सी.पी. व प्रन्नति लाभ नहीं मिलने पर श्री अवधेश द्विवेदी का शिकायत ।   | 28.08.2012 | परिवादी को ए.सी.पी. व प्रन्नति लाभ जिला कार्यालय जमशेदपुर द्वारा दिलाया गया । अतः परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 5. | 02/लोक(कृषि)176/05 | श्री सच्चिदानन्द प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त भूमि संरक्षण पदाधिकारी, ईचाक हजारीबाग के 15.11.2000 के पूर्व के बकाया वेतनादि एवं यात्रा भत्ता के भुगतान के संबंध में । | 31.08.2012 | भूमि संरक्षण पदाधिकारी तथा परिवादी से प्राप्त प्रतिवेदनों तथा मंतव्यों के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया । इसी आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

## सहकारिता विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या         | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|-----------------------|--|-------------------|--|
| 1.       | 02/लोक(सीकारिता)01/07 | श्री तपन कुमार मजूमदार सदस्य सचिव, सकरुगढ़ पोखरिया लैम्पस तथा प्रबंधक निदेशक केन्द्रीय सहकारी अधिकोष दुमका के विरुद्ध श्री उमा शंकर उराँव का शिकायत पत्र । | 31.08.2012        | सचिव सहकारिता विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही नहीं पाये जाने के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

## वन विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या   | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|-----------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 01/लोक(वन)02/12 | चुरचू थाना के तुरीबार टोला सोनाडीह के रैयती जमीन के प्लॉट नं० 101,107,108 ,84, 92 पर मनरेगा योजना अन्तर्गत आम वृक्ष रोपन के संबंध में श्री गिरधारी लाल महतो हजारीबाग का शिकायत । | 21.08.2012        | परिवादी द्वारा परिवाद में उठाये गये बिन्दुओं पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से पविादी संतुष्ट है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

|    |                   |   |            |   |
|----|-------------------|---|------------|---|
| 2. | 02/लोक(वन)01/2008 | स्व0 नवलकिशोर प्रसाद प्रशाखा पदाधिकारी की विधवा श्रीमती कान्ती देवी को मृत्यु सह सेवानिवृत्त लाभ की राशि के भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में। | 24.08.2012 | सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया साथ ही परिवादी से मंतब्य की मांग की गई जो परिवादी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे प्रतीत होता है कि उनके बकाया का भुगतान प्राप्त हो गया है। अतः बन्द कर दिया गया। |
| 3. | 02/लोक(वन)03/2009 | श्री हरि बल्लभ नारायण प्रसाद सेवानिवृत्त वनपाल कोडरमा समाजिक वनिकी प्रमंडल का उत्कृष्ट वेतनमान में वेतन निर्धारण नहीं किए जाने के संबंध में।    | 14.08.2012 | माननीय लोकायुक्त के कार्रवाई के पश्चात परिवादी के परिवाद का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया।   |

## खाद्य आपूर्ति विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या      | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|--------------------|--|-------------------|--|
| 1.       | 02/लोक(खाद्य)9/05  | स्व0 लाला मनमोहन प्रसाद वरीय पणन पदाधिकारी चतरा के पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में इला प्रसाद का अभ्यावेदन।   | 19.08.2012        | संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी के पेंशन का निर्धारण कर दिया गया है के आलोक में परिवादपर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।  |
| 2.       | 02/लोक(खाद्य)04/07 | श्री विन्देश्वरी प्रसाद सेवा निवृत्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सदर प्रखण्ड हजारीबाग का वेतन पुनरीक्षण का बकाया राशि का भुगतान करने के संबंध में। | 28.08.2012        | जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार माननीय लोकायुक्त महोदय के कार्रवाई के पश्चात परिवादी के सभी बकाया का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया। |
| 3.       | 02/लोक(खाद्य)04/06 | श्री अर्जुन राम सेवानिवृत्त अनुसेवक का देय पेंशन एवं ए० सी० पी० के भुगतान के संबंध में।  |                   |  |

## उद्योग विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या       | विषय  | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|---------------------|---|-------------------|--|
| 1.       | 02/लोक(उद्योग)01/07 | श्री शिवशंकर प्रसाद श्रीवास्तव सेवा निवृत्त लिपिक मुख्य कारखाना निरीक्षक कार्यालय डोरण्डा राँची का पेशन निर्धारण के संबंध में । | 22.08.2012        | मुख्य कारखाना निरीक्षक झारखण्ड के रिपोर्ट के आलोक में परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

## समाज कल्याण एवं कल्याण विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या          | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|------------------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 02/लोक(स. कल्याण)02/12 | नवाडीह अंचल के आंगनबाड़ी केन्द्र सं० 175 में सेविका चयन में अनियमितता के संबंध में ।               | 01.08.2012        | उपायुक्त बोकारो के जांप प्रतिवेदन जिसमें सेविका चयन में अनियमितता के आरोप को गलत बताया गया है के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 2.       | 01/लोक(कल्याण)10/11    | कल्याण विभाग द्वारा प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति की स्वीकृति के संबंध में खुर्शीद चौधरी का शिथिल पत्र । | 28.08.2012        | परिवादी द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु जमा किया गया आय प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण परिवादी द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि को वापस लौटाने के आश्वासन के बाद परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

## जल संसाधन विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या       | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|---------------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 02/लोक(जल.सं.)04/11 | सेवा निवृत्त उपरान्त जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं करने तथा महालेखाकार झारखण्ड राँची द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत नहीं करने के संबंध में। | 21.08.2012        | संबंधित परिवाद पर पर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार के वैधानिक बकाया का भुगतान करने के लिए आदेश पारित किया जा चुका है । अतः इस पर अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । |

## सिंचाई विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या       | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|---------------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 01/लोक(सिंचाई)01/11 | लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ द्वारा आवंटित निविदा सं. 7-2010-11 एवं ग्रामिण विकास विशेष प्रमंडल हजारीबाग के द्वारा आमंत्रित सूचना सं. 14/2010-11 में अनियमितता के संबंध में शहजादा अनवर का शिकायत । | 21.08.2012        | उपायुक्त रामगढ़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेज यथा फोटोग्राफ के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

## पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या      | विषय  | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|--------------------|---|-------------------|--|
| 1.       | 02/लोक(पशु)02/2011 | कालबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना तथा बकाया वेतन, जीवन निर्वाह भत्ता एवं छठा वेतनमान के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में श्री रविन्द्र गोप का शिकायत । | 01.08.2012        | संबंधित विभाग से प्राप्त रिपोर्ट तथा परिवादी से प्राप्त मंतबय के अनुसार परिवादी के उपर विभागीय कार्रवाई के पश्चात कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं, तथा परिवादी की सेवा कभी भी सम्पुष्ट नहीं किया गया तथा सेवा से विमुक्त कर दिया गया ऐसी परिस्थिति में परिवादी किसी प्रकार के देय पावना के हकदार नहीं है। अतः परिवाद संचिकास्त कर दिया गया । |

## विविध

| क्रम सं० | संचिका संख्या      | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|--------------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 01/लोक(विविध)01/11 | प्रखण्ड स्तरीय सरकारी कर्मी एवं पदाधिकारी के कार्यशैली के खिलाफ सरीता देवी, पुत्र दिपक कुमार ग्राम/पोस्ट सिरसिया जिला गिरिडीह का शिकायत संबंधी संचिका। | 19.08.2012        | उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त के द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया। |

## नगर विकास विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या         | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश  |
|----------|-----------------------|--|-------------------|---|
| 1.       | 01/लोक(न.वि.वि.)04/11 | नगर पर्वद गिरिडीह के माध्यम से विभागीय स्तर से संपादित योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य में संलिप्त पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अभिकर्ता द्वारा जनोपयोगी निर्माण कार्य की राशि का गबन करने के संबंध में। | 03.08.2012        | पुलिस निरीक्षक गिरिडीह तथा उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया। |



## आवास विभाग

| क्रम सं० | संचिका संख्या      | विषय   | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|--------------------|--|-------------------|--|
| 1.       | 02/लोक(आवास.)01/07 | मकान नं- एच1-167 हरमू में आवंटित आवास पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर सूद दर कम करते हुए तथा विलम्ब दण्ड माफ करते हुए एक मुस्त जमा राशि योजना के तहत विचार हेतु श्री अशुतोष प्रसाद का आवेदन । | 24.08.2012        | प्रबंधन निदेशक झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी द्वारा उठाये गये कुछ आपत्तियों का निपटारा किया गया तथा कुछ को दह कर दिया। इसी आरलोक में परिवाद बन्द कर दिया गया । |

## शिकायत / परिवाद

अगस्त, 2012

| क्रम सं० | संचिका संख्या     | विषय  | संचिकास्त की तिथि | अंतिम आदेश   |
|----------|-------------------|---|-------------------|--|
| 1.       | शिकायत सं. 491/12 | गौतम कुमार राय द्वारा जमीन को गलत तरिके से बेचकर सरकार से क्षमिपूर्ति राशि रू0 12 लाख प्राप्त करने के संबंध में श्री सदानंद साहू तुपूदाना, राँची का शिकायत ।  | 02.08.2012        | यह शिकायत दो व्यक्तियों का निजी मामला है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अनतर्गत पोषणीय नहीं है।  |
| 2.       | शिकायत सं. 511/11 | तत्कालिन उपायुक्त , श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा 10 एकड़ जमीन (आदिवासी तथा सरकारी) मेसर्स अशियाना हाउसिंग लि0 को हस्तान्तरित करने के संबंध में सुरेन्द्र कुमार महतो आदित्यपुर, सरायकेला खरसांवा का शिकायत । | 08.08.2012        | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।    |
| 3.       | शिकायत सं. 406/12 | श्री जयप्रकाश सिंह निदेशक भूतत्व राँची द्वारा पद का दुरुपयोग कर अवैद्य प्रोन्नति प्राप्त करने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता के संबंध में ।  | 18.08.2012        | यह शिकायत लोक सेवक के प्रोन्नति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

|     |                   |  |            |   |
|-----|-------------------|--|------------|---|
| 4.  | शिकायत सं. 466/12 | झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के भ्रष्ट पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री जितेन्द्र कुमार, टाटीसिलवे राँची का शिकायत ।      | 22.08.2012 | परिवाद पुर्व से ही विशेष निगरानी कोर्ट राँची में लम्बित रहने के कारण परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 5.  | शिकायत सं. 495/12 | सिटी थाना काण्ड सं. 135/2012 के आरोपी को थाना प्रभारी द्वारा छोड़ने के संबंध में ।   | 08.08.2012 | परिवाद अपराधिक मामले में हस्तक्षेप से संबंधित जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।  |
| 6.  | शिकायत सं. 555/12 | राजेन्द्र अयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में अवैद्य नियुक्ति के संबंध में प्रेम प्रकाश मोराबादी राँची का शिकायत ।   | 07.08.2012 | नियुक्ति से संबंधित मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 7.  | शिकायत सं. 517/12 | श्री प्रदीप कुमार सेन पिता स्व0 सुकुमार सेन, लिपिक जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय पाकुड़ को अनुकम्पा के आधार पर को अहर्ता नहीं रहते हुए भी नियुक्ति किये जाने के संबंध में । | 01.08.2012 | परिवाद कालबाधित रहने के कारण इस पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 8.  | शिकायत सं0 83/12  | हजारीबाग जिले के पूर्व भूमि संरक्षण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा नेशनल वाटर शेड योजना में लाखों रूपये लूट के संबंध में डॉ0 निजामुद्दिन अंसारी का शिकायत ।            | 08.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 9.  | शिकायत सं0 509/12 | मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अन्तर्गत कोडरमा जिला में पुल निर्माण हेतु आवंटित निविदा को रद्द किये जाने के संबंध मे श्री अमिताभ कुमार से प्राप्त शिकायत ।                 | 06.08.2012 | परिवाद पत्र त्रुटिपूर्ण रहने के कारण परिवाद को माननीय लोकायुक्त के द्वारा रद्द कर दिया गया ।  |
| 10. | शिकायत सं0 503/12 | श्री नरेश चौधरी सेवानिवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी राँची का ए. सी.पी. एवं प्रोन्नति के संबंध में प्राप्त शिकायत ।  | 24.08.2012 | वर्तमान परिवाद पर माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने पुर्व में ही उचित आदेश पारित कर दिया है अतः इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद प्र अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 11. | शिकायत सं. 546/12 | पाथरगामा थाना काण्ड सं0-98/12 के अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद दबाव में आकर छोड़ने के संबंध में श्रीमती रत्ना देवी का शिकायत ।                             | 08.08.2012 | संबंधित काण्ड में पुलिस एफ.आई.आर दर्ज अनुसंधान कर रही है इस दशा में इस केस में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया ।                       |

|     |                   |   |            |   |
|-----|-------------------|---|------------|---|
| 12. | शिकायत सं० 550/12 | न्यू पी.एच.ई.डी. कॉलोनी स्थित विभागीय आवास सं० डी./12 के कैम्पस के अन्दर में अवैद्य अतिक्रमण हटवाने के संबंध में ।                                  | 08.08.2012 | इस परिवाद पर पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा उचित आदेश पारित किया जा चुका है इस दशा में परिवाद झारखण्ड लोकयुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया । |
| 13. | शिकायत सं. 212/12 | श्रीमती किरण देवी की हत्या इसके पति, सशुर, देवर एवं देवरानी के द्वारा करने पर नगर उटारी थाना प्रभारी द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने के संबंध में । | 07.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 14. | शिकायत सं. 565/12 | कालूबथाना ओ.पी के प्रभारी राजेन्द्र कुमार दास द्वारा प्रतिमाह घूस मांगने एवं कोयला का अवैद्य कारोबार करने के संबंध में ।                            | 18.08.2012 | परिवादी को अन्य अनुतोष का लभ प्राप्त रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । अतः परिवाद को निरस्त करते हुए बन्द कर दिया गया ।   |
| 15. | शिकायत सं० 171/12 | अभिजीत कुमार परिरा एफ.बी.-17 हॉल ओल्ड टाउनशिप पी. ओ. मीनापुर बैंगलोर बनाम झारखण्ड आवास बोर्ड ।  | 01.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 16. | शिकायत सं. 93/12  | झारखण्ड लोकसेवा आयोग राँची द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित विकलांग कोटा का अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में ।                                      | 21.08.2012 | झारखण्ड लोकसेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध सी.बी.आई जांच चल रहीं है एसी दशा में परिवाद पोषणीय नहीं है ।   |
| 17. | शिकायत सं. 480/12 | आलम नर्सिंग होम राँची के संचालक सह चिकित्सक डॉ० मजीद आलम तथा डॉ० तनवीर आलम के द्वारा गलत तरिके से किडनी निकाले जाने के संबंध में शिकायत ।           | 21.08.2012 | शिकायत एक निजी पार्टी के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकयुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।   |
| 18. | शिकायत सं० 524/12 | गिरिडीह जिला अन्तर्गत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं भू-माफियाओं का भ्रष्टाचार में लिप्त रहने संबंधि शिकायत ।                  | 08.08.2012 | परिवादी द्वारा अपना नाम तथा पता नहीं दये जाने के कारण परिवाद पत्र में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण संभव नहीं है । अतः त्रुटिपूर्ण परिवाद पर विचार करना संभव नहीं है ।   |

|     |                   |   |            |   |
|-----|-------------------|---|------------|---|
| 19. | शिकायत सं. 471/12 | निलम्बन मुक्त करते हुए बकाया वेतन भुगतान के संबंध में श्री महेन्द्र महाराज, धनबाद का शिकायत ।   | 22.08.2012 | परिवादी का शिकायत कालबाधित रहने के कारण इस पर झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत कार्रवाई संभव नहीं है ।   |
| 20. | शिकायत सं. 526/12 | बिनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में पुस्तक क्रय में वित्तीय अनियमितता के संबंध में श्री राजीव रंजन शाहदेव रांची का कुलपति डॉ० रवीन्द्र नाथ भगत के विरुद्ध आरोप । | 06.08.2012 | माननीय लोकायुक्त के आदेशानुसार शिकायत को समुचित कार्रवाई हेतु महामहिम राज्यपाल के सचिवालय को प्रेषित किया गया ।   |
| 21. | शिकायत सं० 88/12  | मदरसा सिराजूल उलूम रामचन्द्रपुर देवघर के अध्यक्ष पर मदरसा संचालन में अनियमितता के संबंध में मो० सरफराज देवघर का शिकायत ।  | 28.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।                                       |
| 22. | शिकायत सं० 88/12  | श्री नकुल पाण्डेय, प्रधानाचार्य आदर्श कॉलेज, गिरिडीह को 5 वां/छठा वेतनमान के बकाया के संबंध में ।   | 28.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।                                       |
| 23. | शिकायत सं. 107/12 | श्री अनिल दुबे लेखा पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, गढ़वा पर भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में श्री राम प्रवेश राम गढ़वा का शिकायत ।                                   | 28.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।                                       |
| 24. | शिकायत सं. 514/12 | सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में श्री राजकुमार अधिवक्ता का शिकायत ।  | 24.08.2012 | सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से संबंधित शिकायत का उपचार स्वयं सूचना के अधिकार अधिनियम में व्याप्त है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है ।                 |
| 25. | शिकायत सं. 487/12 | पेंशन/उपादान पुनरीक्षण आवेदन पत्र महालेखाकार झारखण्ड, राँची द्वारा निरस्त किए जाने के संबंध में श्री शिव नरायण मेहता, पलामू का शिकायत ।                             | 28.08.2012 | यह शिकायत महालेखाकार झारखण्ड, राँची से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः शिकायत को निरस्त करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |

|     |                   |   |            |   |
|-----|-------------------|---|------------|---|
| 26. | शिकायत सं0 578/12 | डॉ0 प्रभास्क पाठक शिक्षक डी.ए.वी. गुआ को छटा पुनरीक्षित वेतन बकाया रहने के संबंध में ।  | 23.08.2012 | डी. ए.वी. स्कूलों का संचालन डी.ए.वी. प्रबंधन समिति जो एक निजी संस्था है के द्वारा किया जाता है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः शिकायत को निरस्त करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 27. | शिकायत सं. 540/12 | झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची में अवैद्य रूप से कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मियों के संबंध में इम्तियाज अहमद गोड्डा का शिकायत ।      | 31.08.2012 | प्राप्त शिकायत में परिवादी द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद राँची में संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात भी कर्मियों द्वारा कार्य करने जो सेवा शर्त से संबंधित है। अतः इस प्रकार के मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः शिकायत को निरस्त करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 28. | शिकायत सं. 481/12 | श्री तुरन होरो को अवैद्य तरिके से मुख्य कारखाना निरीक्षक में प्रोन्नति देने के संबंध में श्री राजीव कुमार चास, बोकारो का शिकायत ।         | 28.08.2012 | यह परिवाद प्रोन्नति से संबंधित है। इस प्रकार के मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः शिकायत को निरस्त करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।  |
| 29. | शिकायत सं0 564/12 | एस.एस. सी के द्वारा षडयंत्र का नियुक्ति नहीं किये जाने के संबंध में श्री शशि कुमार गुप्ता चतरा को शिकायत ।                                | 28.08.2012 | यह शिकायत कर्मचारी चयन आयोग , केन्द्र सरकार से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः शिकायत को निरस्त करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 30. | शिकायत सं. 497/12 | बकाये पेंशन का भुगतान नहीं किये जानेके संबंध में कसिदा कुँवर पांकी, पलामू का शिकायत ।   | 28.08.2012 | यह शिकायत स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया पांकी , पलामू से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतः शिकायत को निरस्त करते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 31. | शिकायत सं.557/12  | दुमका समाहरणालय अन्तर्गत चतुर्थवर्गीय कमचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी किये जाने के संबंध में श्री निलेश कुमार रायगढ़, दुमका का शिकायत । | 31.08.2012 | इस प्रकार के शिकायत जो नियुक्ति से संबंधित हो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः शिकायत को निरस्त करते हुए इस   |

|     |                   |  |            |   |
|-----|-------------------|--|------------|---|
|     |                   |  |            | पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।   |
| 32. | शिकायत सं. 525/12 | ए.टी.आई. में अवैध नियुक्ति किये जाने के संबंध में श्रीमती विभा कुमारी, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, श्री कृष्णा लोक प्रशासन राँची का शिकायत ।                   | 31.08.2012 | इस प्रकार के शिकायत जो नियुक्ति से संबंधित हो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः शिकायत को निरस्त करते हुए इस पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
| 33. | शिकायत सं0 180/12 | फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित सेविका के मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बोकारो एवं सहायक के विरुद्ध शहिदा प्रवीण गोमिया बोकारो का शिकायत । | 28.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।                             |
| 34. | शिकायत सं. 517/11 | श्री पंकज कम्बोज आई.पी.एस., आरक्षी अधीक्षक हजारीबाग के विरुद्ध संज्ञान लेकर जांच की कार्यवाही करने के संबंध में श्री हराधन साह हजारीबाग का शिकायत ।            | 28.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।                             |
| 35. | शिकायत सं0 512/12 | शिकायतकर्ता श्री अनिल कुमार सिंह हरमू का मोबाईल गुम हो जाने के संबंध में शिकायत करने पर लालपूर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के संबंध में ।             | 31.08.2012 | परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।  |
| 36. | शिकायत सं0 515/12 | जसीडीह थाना काण्ड सं0167/2012 पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री गणेश कुमार यादव जसीडीह का शिकायत ।                                      | 19.08.2012 | शिकायत अपराधिक मामले में हस्तक्षेप से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।               |
| 37. | शिकायत सं0 453/12 | गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटन के संबंध में श्री जीवनधारी मिस्त्री पलामू का शिकायत ।   | 28.08.2012 | परिवाद दो लोगो का आपसी विवाद से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः शिकायत पत्र को निरस्त कर दिया गया ।                                   |
| 38. | शिकायत सं. 252/12 | परिवादी समरी देवी का नाम एव बी.पी.एल नं. का गलत प्रयोग कर जनवितरण प्रणाली दुकान का आवंटन करा लेने के संबंध में ।   | 22.08.2012 | शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।                             |

|     |                   |  |            |  |
|-----|-------------------|--|------------|--|
| 39. | शिकायत सं. 523/12 | जी.ई.एल. अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय सरायपानी, सिमडेगा में सहायक शिक्षक के पद पर नीलकमल किशोर की नियुक्ति रद्द होने की शिकायत । | 22.08.2012 | शिकायत सेवा शर्त नियमावली के अर्न्तगत नियुक्ति से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद को निरस्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया । |
|-----|-------------------|--|------------|--|